1 श्री डी.के. ओझा–चेन्नई ज्ञानतत्व 17730

आपने जो विचार व्यक्त किए हैं– शायद आपने व्यंग्य में लिखा है। मैं समझ नहीं पाया।

2–एम एच सिंगला–(अजमेर) ज्ञानतत्व 50060

ज्ञान तत्व 285 वें अंक में महगाई मुद्रा स्फीति विषय पर आपके विचारो की श्रृंखला में अपने विचार दो दिन पहले ही भेजे है। विचारो में कुछ और विवेचना की गुंजाइस महसुस हुई थी।

286 वां अंक मिला। इसमें बहुत कुछ लिख दिया गया है और चाहा गया है। निवेदन इस प्रकार है–

क. आपका निवेदन लीक से हटकर है। सही है और नहीं भी लगा।

ख. लेखन के लिये ऐसा हो मेरा देश बिन्दु विषयवार दिया गया है। बिन्दुओं पर सूक्ष्म में विचार भी दिये गये हैं। इससे विवेचन में स्पष्टता लाने में सहायता मिल सकेगी। तथापि यह बात मेरी समझ से परे है कि इस प्रकार ओखली में गुड फोडने से क्या कोई निष्कर्ष निकल सकेगा और उसकी क्या व्यावहारिकता, परिणाम किंवा लाभ मिल सकेगा!?

मैं आपके साथ पिछले 15–20 साल से जुडा रहा हूँ। ऐसे विचार विमर्श से आत्मतुष्टि से अधिक कुछ मिल पाया है या कि मिल पायेगा शंकित है। मैं अन्यथा भी यत्र– तत्र कलम घसींटता रहा हूँ.....!!??

3.श्री महावीर त्यागी–पानीपत ज्ञानतत्व 60873

–ज्ञान तत्व पत्रिका मिलती रहती है।सभी अंको को मोटे तौर पर देख लेता हूँ। ज्ञान तत्व का 1–15 फरवरी 2014 का 284वॉ अंक मेरे हाथ में है, आप ने नरेंद्र मोदी को सक्षम,योग्य और चालाक वक्ता बताया है। साथ ही लिखा है कि वे विश्वसनीय नही है। वे हिन्दु तुष्टिकरण में फसे हुए है। या यूँ कहे कि मानवतावादी नही है।

श्री मोदी जी के भाषणो को आप गौर से सुने या पढे। केवल और केवल एक परिवार को कोसने के सिवाय दूसरी कोई बात उनमें आप नही पायेंगे। देश के निर्माण की कोई योजना, गरीबी ,बेरोजगारी,भ्रष्टाचार,अपराधीकरण आर्थिक नीति और विदेश नीति की कही भी झलक नही दिखाई देती है।समस्याओ के कारण और निवारण पर कोई बातचीत नही हाती है। भारत कृषि प्रधान देश है।कृषि नीति, किसान मजदूरो के लिए कार्यक्रम, आम जनता के लिए शिक्षा स्वास्थ्य निवास, रोटी कपडा सर छुपाने को झोपडी, कभी इस प्रकार की समस्या के निवारण की बात तो दूर इन सब बातो की चर्चा भी उन्होने नही की। उनके पक्ष में एक ही तर्क दिया जाता है कि वे तीन योजनाओ से गुजरात के मुख्यमंत्री बने है। तीन बार तो दिल्ली में श्रीमति शीला दीक्षित जी भी मुख्यमंत्री रही। केवल यही एक आधार है क्या मनुष्य को योग्य और जनप्रिय होने का। आप ने मोदी जी को चालाक कहा है। इंग्लीस में चालाक को कनिंग कहते है।

ज्ञान तत्व के 286वें अंक में आप अपने विचारो को स्वयं उटपटांग बता रहे है इसके लिए मै आप को बधाई देता हूँ, क्योकि आप सही कह रहे है । इस अंक में आप ने महिलाओ को लेकर 23 मुद्दे रखे हैं। सारे के सारे में आप ने उल्टी बात कही है, कृपया उन्हे दोबारा एकाग्र होकर पढें। आप क्यो ऐसी बाते करते है जिसका समाज में विरोध होगा । सुरखियो में बने रहने के लिए ऐसी उल्टी सीधी बाते करते है। कृपया समस्याएँ जिन्हे आप भी जानते है और उनका समाधान लिखेंगे तो पत्रिका अधिक लाभकारी होगी। बाते बहुत है परन्तु आप सीधी–सीधी बाते लिखेंगे तो समाज को लाभ होगा।

4 ओम प्रकाश मंजुल पीलीभीत उत्तर प्रदेश ज्ञान तत्व कमांक–6011

ज्ञान तत्व 286 मे अंकित तत्वों–तथ्यो से संबद्ध समीक्षात्मक प्रतिक्रियार्थ विचारक पाठको को प्रेरित या बाध्य करने के लिये आपने विषय को जिस चतुराई से प्रस्तावित या प्रवर्तित किया है, उससे शादी के लडडू जो खाये वो पछताये जो न खाये वह भी पछताये वाली कहावत याद आ गई। जब पछताना ही है तो लड्डू खाकर पछताना ही शायद अधिक विवेकपूर्ण है। आपने चेताया है कि जो चालाकी दिखाकर इस विचार मंथन मे नही पडेगा, उसे आप अगले आग्रह मे दूसरे प्रकार की भाषा का प्रयोग करके पत्र लिखने को विवश कर देंगे। ऐसी विषम स्थिति की आशंका को देखते हुए मै गधहे पर बैठकर आने के बजाय हाथी की सवारी करना ही पसंद कर रहा हूॅ।

प्रस्तुत अंक मे समाविष्ट तत्वों व तथ्यों को मैनै उत्तर और समीक्षा मे सुविधा की दृष्टि से 4 वर्गो मे रखा है। 1 सहमत–इनकी संख्या सर्वाधिक है। इन विन्दुओ पर सहमत होने के कारण इन पर मुझे कुछ नही कहना है। 2 असहमत, 3 दुविधा ग्रस्त – इस वर्ग मे ऐसी बाते ली है। जिसमे या तो मै द्विविधाग्रस्त है। या आप द्विविधाग्रस्त है। अथवा हम दोनो ही द्विविधाग्रस्त है। 4 विशेष –इन वर्ग मे वे चीजे हे जिनमे मुझे सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टि से कोई विशेष बात दिखाई दी है।

असहमत– बाल विवाह का विरोध सही है। हालांकी इसे कानूनो से कम सामाजिक जागरण के सुधारात्मक कार्यक्रमो के माध्यम से अधिक किया जाना चाहिये। जिन समस्याओ के पैदा होने की आशंका हैं उनकी तुलना मे बाल विवाह बंद होने पर बाल कल्याण की संभावना अधिक है। प्लेटो के रिपब्लिक में भी इसकी अनुगूंज है।

5 राम जन्म भूमि–3– राम जन्म भुमी स्थल को उपर और नीचे दो पूजा स्थलो मे विकसित करने का समय का सुझाव मुह बनाने के लिये नाक कटाने जैसा है। आप ही जब बिन्दु 1 मे इसे हिन्दुओ का ऐतिहासिक स्थल बता चुके हैं तब इसमे पूजा के लिये आधा हिस्सा मुसलमानो को दिये जाने का क्या औचित्य है। यह तो वही बात हुई कि किरायेदार या लुटेरा मकान मे आ जाये और फिर इसे खाली न करे तो समारोह पूर्वक आधा मकान उसे दे दिया जाये। यह वास्तविक नीति तो नही नेहरू और गांधी वाली नीति है। जिसके तहत हम भारत के तीन टुकडे करवा चुके है। और चौथा टुकडा करने के लिये दबाव बनाये जा रहे है। असल मे देश की सारी समस्याऐं इसी नीति के कारण पैदा हुई है।

6 कश्मीर– 2– आपका कथन कि हिन्दू साम्प्रदायिकता कश्मीर समस्या को सुलझने नही देती, निराधार है। और शायद इसे सिद्ध करने वाला आपके पास कोई साक्ष्य नहीं हैं। आप जिसे हिन्दू सम्प्रदायिकता कहते है वह वास्तव मे हिन्दू संवेदनशीलता है। जो कभी भी आक्रमकता मे न बदल कर सहिष्णुता मे विलीन हो जाती है। आप की यह धारणा भी निराधार है कि संघ परिवार नही चाहता कि कश्मीर समस्या कभी सुलझे ।

17 गोहत्या–गो हत्या बंदी के लिये सरकार को और कडे कानून बनाकर उनका कडाई से पालन कराना चाहिये। मै स्वयं देख रहा हूॅ कि 30–40 वर्षो पूर्व देश मे जो जंगल राज्य था उसके स्थान पर आज कानून का राज्य है और पूर्व की तुलना मे अधिक व्यवस्थित एवं सभ्य है। पानी का बहाव और मानव स्वभाव अवरोधक कानून से ही सुधरता है।

20 भूत प्रेत– आप भले ही निष्कर्ष पर न पहुंचे हो लेकिन श्री राम शर्मा आचार्य जैसे ऋषि मनीषि तक ने भूत प्रेतों आदि को माना है। उनकी अपनी पुस्तक भूत–प्रेत और टोना टोटका मे इनके पीछे अंध विश्वास और अज्ञानता का

होना मानते हुए इनका भी अस्तित्व स्वीकार किया है। आगरा मे रहकर आचार्य जी ने युग निर्माण योजना का कार्य जिस दो मंजिला भवन मे रह कर शुरू किया। उसमे भूत अक्सर छत पर आकर अपनी गतिविधिया करते थे। इससे आचार्य जी के कार्य मे व्यवधान पडता था। आचार्य जी ने एक दिन उनके पास जाकर निवेदन किया कि भाइयों इस मकान मे 2 मंजिल है। एक मे आप आराम से रहिये और दूसरी में हमे आराम से रहने दीजिये। इसके बाद भूत प्रेतो ने आचार्य जी को कभी परेशान नही किया। यह वृतांत आचार्य जी ने एक से अधिक स्थानो पर लिखा हैं जिसे मैने स्वयं पढा है। भूत प्रेतो के संबंध मे थोडा सा अनुभव मुझे भी है पर यहा स्थानाभाववश नही लिख रहा हूँ। यदि चाहेंगे और आदेश करेंगे तो अलग से लिख कर भेज दूंगा।

24 शिक्षा– शिक्षा और ज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू है। अलग अलग नही। अच्छी बाते शिक्षा है और इन्हे जीवन मे अपनाना ही ज्ञान है। ऋषियों ने रत्नाकर डाकू के दस्यु वृत्ति छोडने को कहा यह शिक्षा थी। घर पहुंच कर उसकी पत्नी ने रत्नाकर की जो आंखे खोली जिससे उसने डकैती छोडी यह ज्ञान था। शिक्षा का चरित्र से सीधा घनिष्ठ संबंध है। अच्छी शिक्षा से चरित्र बनता है और बुरी से बिगडता है। ऋषियों की अच्छी शिक्षा से डाकू, अंगुली माल बौद्ध धर्म के महान प्रचारक अंगुली माल बन गये थे।

2 शिक्षा पर केन्द्र और राज्य की सरकारें कम व्यय कर रही है । प्रत्येक बजट मे शिक्षा पर खास व्यय करना चाहियें यह विनियोग होगा। व्यय नही। विधायको सांसदो एवं अधिकारियों के बेतहाशा बढ रहे वेतन भत्तो में कमी करके अपेक्षिक राशि अर्जित की जा सकती है।

सरकारी स्कूल बंद कर दिये जाने या फिस के बदले पढाई की व्यवस्था होने पर निर्धनो के बच्चे कैसे पढ पायेंगे। मेरा तो यह सुझाव है कि स्कूल और अध्यापक काफी बढाये जाये और हाई स्कूल स्तर तक छात्रो से कोई शुल्क न लिया जाये। जैसा कि उ0प्र0 मे होने जा रहा है। मिड डे मील जिसने विद्यालयों को भोजनालय बना रखा है, को तत्काल बंद करके उस पर होने वाला व्यय शिक्षा पर खर्च हो। यूनिफार्म और विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां जो प्रतिभा पर आधारित नही है उन्हे भी बंद किया जाये। ये चीजे लोगो को निकम्मा बनाती है।

25–ज्ञान 5– जो लोग चरित्र निर्माण के लिये शिक्षा मे सुधार की बात करते है वे सही है। शिक्षा और चरित्र मे सह संबंध है।

30–शोषण को अपराध कहने वाले न धूर्त है न अज्ञानी । आर्थिक शोषण के कारण स्थिति तंग होने पर व्यक्ति गृहस्थी कैसे चलाता है, उससे पूछिये कि शोषण क्या होता है। आप को शोषण की गंभीरता का अनुभव नही है। फिर शोषण कई प्रकार का होता है जो हर रूप मे बुरा है। जानलेवा बलात्कार भी तो शोषण ही है?

द्विविधाग्रस्त– 2 महिलाए 4,5,6,10,13

4 आर्थिक नीति–5,1 जैसा कि मैने आपको लिखे एक पत्र मे भी कहा था कि आपका यह वाग्जाल है या शब्दो की जादूगरी और बाजीगरी जो आप मंहगाई न बढने की बात कहते हैं। जब तक इसके साथ यह न कहा जाये कि मुद्रा स्फिति व लोगो की क्रय शक्ति बढी है तब तक मंहगाई न बढने की बात कहने का कोई औचित्य नही है।

6 वर्तमान मे बेरोजगारी का प्रचलित अर्थ झूठा है। पर इस अर्थ को किसी ने प्रचलित नही किया। यह स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से प्रचलित हुआ है।

10 आर्थिक विषमता केवल योजना बद्ध ढंग से बढायी गयी है, कहना गलत है संभव है यह आंशिक रूप से सत्य हो । इस कार्य मे प्रकृति का प्रकोप भी रहा है। मिसाल के तौर पर ओला वृष्टि हुई जिसमे अमीर की 10 एकड फसल में 2 एकड फसल क्षति ग्रस्त हो गयी । जबकि गरीब किसान की कुल मिलाकर फसल ही एक एकड मे थी जो नष्ट हो गयी। इस प्रकार अमीर कृषक की 2 एकड फसल चौपट होने पर भी वह पूर्णतः गरीब नही हुआ। जबकि गरीब कृषक की फसल एक एकड ही चौपट हुई। पर वह पूर्णत धनहीन हो गया। अलबत्ता बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा–विधुर पेंशन योजना काशीराम राम मनोहर लोहिया नेहरू जी गांधी जी दीन दयाल जो आदि के नाम पर शुरू की गयी भोजन आवास इत्यादि की निशुल्क येाजनाओ ने नागरिको को निठल्ला, अक्षम एवं मक्कार अवश्य बनाया है।

6 कश्मीर–4, 5, 10, 11

9–संगठन– 4 व्यवस्था और चरित्र एक दूसरे के सहयोगी है विरोधी नही। चरित्रवान और बुद्धिमान व्यक्ति व्यवस्था बनाते है और व्यवस्था के अंतर्गत चरित्र का विकास होता हे। मैने कई संस्थाओ जो अब्यवस्था के दौर से गुजर रही थी, को चरित्रवान लोगो के पहुंचने पर सुधरते देखा है, और व्यवस्थित संस्थाओ को चरित्रहीनो द्वारा बिगडते हुए भी। कांगेस जैसी अनुशासित एंव व्यवस्थित पार्टी की दुर्दशा आज इसीलिये है कि उसमे चरित्रहीन पहुंच गये हैं। आप तो अभी ढंग से व्यवस्थित भी नही हो पायी थी कि उसके चरित्रहीन और छिछोडे नेताओं ने आप की मिटटी पलीत कर दी है।

13 राष्ट और समाज–1 समाज के एक से अधिक अर्थ हैं अस्तु भ्रामक है। दोनो मे कौन उच्च है समाज या राष्ट्र इसके बारे मे विचारको के भिन्न–भिन्न दृष्टि कोण है।

15। समान नागरिक संहिता– समान आचार संहिता समाज की समस्याओ के समाधान मे बाधक हो सकती है। पर राष्ट्रीय भावना से संबंधित समस्याओ के समाधान मे सहायक होगी।

29–अपराध–सभी अपराध गैर कानूनी होते है, पर अनैतिक भी हो, जरूरी नही। अ ने ब की बेटी को छेडा, ब ने अ को मार दिया। इसमे अनैतिक कहॉ है? हालांकी मारना अपराध है।

30– शोषण–शोषण को अपराध न माना जाना गलत है। शोषण सिद्ध होने पर शोषक को अपराधी माना जाना चाहिए तथा कानून द्वारा उसे सजा मिलनी चाहिए। अंगरेज भी तो शोषक थे। उन्होने भारतीयो के साथ कौन से अपराध और जुल्मो सितम नही किये?

34– आर्दश न्यायपालिका– 2,3,4।

7–संघ–आप कहते है, गॉधी हत्या के बाद संघ परिवार को कुचल देना चाहिए था। मुसलमान यह नही कहता कि पाक बनाने के बाद मुस्लिम लीग को कुचल देना चाहिए था। पाक में तो मुस्लिम लीग कई बदले हुये नामो से आज भी है। भारत में भी 'हिन्दुस्तान' में भी आज भी मुस्लिम लीग है। मेरा मन है कि आज देश में यदि संघ परिवार आर्य समाज तथा शिवसेना जैसे संगठन न होते तो आज विखंडित भारत पाकिस्तान होता और हम तथा आप सभी मुसलमान। तब आप अपने

कथन में छिपे मर्म पर गंभीरता से सोचते । किसी भी व्यक्ति या चीज का महत्व उसकी अनुपस्थिति में पता चलता है। आप बार बार पटेल को संघ के प्रति नरम रूख अपनाने वाला कहते है जबकि राहुल गॉधी बार बार कह रहे हैं कि पटेल जी ने संघ को बार–बार जहरीला संगठन कहा है।विशेष–आप ने कई जगह प्रतिशत का उल्लेख किया हैजो विश्वसनीय कैसे हो सकता है? जबकि अनेक नामी संगठनो के द्वारा किए गए सर्वेक्षण भी गलत सिद्ध हो जाते है।

6–इस बिंदु में आपने संघ परिवार की अनेक दोष पूर्ण नीतियो का उल्लेख किया है। इसमें आपके चश्मे का दोष है। मुझ जैसे दूसरे रंग का चश्मा पहनने वालो को ये ही नीतियॉ अच्छी लगती है। इसके लिए लंबी बहस की जरूरत है अलबत्ता संघ की नीतियॉ अधिनायकवाद की ओर झुकी अवश्य है । देश को नेताओ ने लूटा ही इस कदर है कि कभी–कभी अच्छा विचारक भी यह सोचने को विवश हो जाता है कि लोकतंत्र के नाम पर हजारो हिटलरो की तुलना में एक ही हिटलर होता तो अच्छा था। तब आम जनता सुकुन में रहती।

8–इस्लाम–आप ने लिखा है कि पुरी दुनिया में साम्यवादियों की कट्टरता की पोल खुल चुकी है मुस्लिम साम्प्रदायिकता की खुल रही है,संघ की साम्प्रदायिकता की भी जल्द खुल जायेगी।संघ के बारे में आप का पूर्वानुमान गलत है,क्योकि संघ की सांप्रदायिकता आतंक मचाने के लिए नही, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए है। संघ की मानसिकता को हम साम्प्रदायिकता के स्थान पर सांस्कृतिकता कहे तो अधिक अच्छा है।उसकी संस्कृति के बारे में पहले से ही सब कुछ खुलम खुल्ला है कि यह एक राष्ट्रीयतावादी संगठन है। इसलिए इसकी कोई पोल ही नही है जो खुलेगी।

14– भ्रष्टाचार– – भ्रष्टाचार को कानूनो की संख्या कम करके नही ,बढा कर ही रोका जा सकता है अलबत्ता इसका पालन भी कडाई से कराया जाय। उ0 प्र0 में शिक्षा एवं चिकित्सा क्षेत्र में जितने अंश भी निजीकरण के है उतने ही भ्रष्टाचार चरम पर है पूर्ण निजीकरण होता हो, भ्रष्टाचार कहॉ तक पहुचता?

5 योगिन गुर्जर, शोलापुर महाराष्ट, ज्ञान तत्व कमांक – 34061

समीक्षा–जन्म पूर्व के संस्कार को आपने ज्ञान प्राप्ति के तीन माध्यमो मे से एक माध्यम बताया है। इस संबंध मे आपने कौन से शोध किये है या प्रयोग किये है अैर किस आधार पर आपने यह निष्कर्ष निकाला है। स्पष्ट करे।

विषय क्रमांक 201 भूत प्रेत– आपने बचपन से लेकर अब तक शोध करने के बावजूद आप निष्कर्ष नही निकाल पाये । आप जन्म पूर्व जीवन को मानते हैं और मृत्यु पश्चात् लोक को अभी तक नही माना या सीधे तौर पर नही नकारा। ये बात मेरी समझ मे नही आई। विषय कमांक 21– लोकतंत्र मे हडताल चक्काजाम होना ही नही चाहिये । इस बात से मै पूर्णतः सहमत हूॅ मगर आज परिस्थितियां ही ऐसी है कि हम सडक बंद ना करे, सार्वजनिक माल भत्ता को ना जलाये, तोडफोड ना करे तो सरकार छोटी छोटी बात भी मानती नहीं। यह तो मजबूरी में करना पडता है। एक उदाहरण देता हूॅ। स्कूल के पास कई अपराध होते रहे जिनमे छोटे छोटे बच्चो की जाने गई हैं। उस स्कूल के पास स्पीड ब्रेकर लगवाने और ट्रैफिक संबंधी सुचना के फलक लगवाने के लिये सालो साल सैकडों निवेदन देने के बावजूद सामाजिक संगठन और पालको द्वारा दो घंटा ट्रैफिक जाम करना पडा तब जाकर स्पीड ब्रेकर और सूचना फलक लगवाये गये। इसके बावजूद मैं हड़ताल और चक्काजाम के खिलाफ हूँ।

विषय 24 आप मुफ़्त शिक्षा के खिलाफ और वैश्या व्यवसाय मुफ़्त के पक्ष मे है। इस देश मे किसी को भी कुछ भी मुफ़्त देने का मै विरोधी हूँ। मुफ्त वैश्यालय अनेक समस्याए पैदा करेगा। इसपर भी विचार करें।

विषय 22 गांधी हत्या–गांधी जी की अहिंसा सफल हुई इसका कारण वे खुद के साथ प्रामाणिक थे । उन्होने खुद को कभी धोखा नही दिया न हीं खुद से झुठ बोला आज हिंसा बढी है क्योंकि हम खुद के साथ प्रामाणिक नही है।

विषय– 28 आत्महत्या इस पर कानूनी रोक गलत है। इसमे मै सहमत हूँ। कुछ परिस्थितियो मे आत्महत्या को परमिशन देनी चाहिये। उदाहरण के लिये अति बुढापे में दुरूह बिमारी आदि मे।

विषय क्रमांक 34 –5 मे आप कहते है कि न्यायाधीशों को न्याय करने का या उसे परिभाषित करने का कोई अधिकार नही है और 10 में आप कहते है कि न्यायिक सिंद्धान्तो में संधोधन होना चाहिये जो न्यायपालिका नही कर रही है।

न्यायालयो को न्याय को परिभाषित करने का अधिकार न दे और न्यायिक सिद्धान्तो में संशोधन करना चाहिये ये कैसे संभव है।

दुनिया में ज्ञात इतिहास में आज तक आदर्श शासन व्यवस्था सिर्फ विचारों और किताबो तक ही है। साक्षात मे कभी नही बन पायी। अन्यथा आर्य चाणक्य जिन्होने दुनिया को पहला लिखित संविधान कौटिल्य अर्थ शास्त्र दिया उनकी मृत्यु पश्चात ही मौर्य साम्राज्य का अस्त हुआ और अव्यवस्था शुरू हुई। इस देश के संविधान को हम 64 सालो में पुर्णतः स्वीकार नही कर पाये और पुरे विश्व का संविधान की चर्चा शुरू कर दी। ये बाते कल्पनाओ मे ही अच्छी है यथार्थ मे नही।

आपने ज्ञानतत्व अंक 286 में लिखा है कि वैश्यावृत्ति को मुफ्त कर देना चाहिये। आपने यह क्यों नही सोचा कि ऐसा करने के बाद सेक्स वर्कर महिलाओं का खर्च कैसे चलेगा, साथ ही इससे अनेक परिवारों में गृह युद्ध हो सकता है।

आपके विचारो से बौद्धिक व्यायाम तो होता है मगर कहीं–कहीं पर आप शेख चिल्ली के सपने देख रहे हैं। वाद–विवाद मतभेद तो भविष्य मे भी जारी रहेगा।

6–रामकृष्ण जाखेटिया जयपुर राजस्थान ज्ञानतत्व 50878

समीक्षा–आपके विचार कि महिलाओ पर अत्याचार होना हीं नही असंगत एवं तथ्य से परे है। सुप्रीम कोर्ट से फाँसी की सजा सुनाई गई है। अदालत में कई मामले विचाराधीन चल रहे है। चौराहे पर सरे आम निःवस्त्रकरना, तेजाब फेंक कर चेहरो को विद्रुप करना आदि घटनाएँ शायद आपके पाषाण हृदय को द्रवित नही करती । एक शोध के अनुसार महिलाओ पर अत्याचार एवं यौन शोषण के प्रकरण परिवार जनों एवं नजदीकी रिश्तेदारो द्वारा अधिक होते है। महिलाओ की चीख पुकार से धरती गूँज रही है, आकाश गरज रहा है और आप कहते है कि अत्याचार होता ही नहीं। सच बात यह है कि हर युग में महिलाओ पर अत्याचार होते रहे हैं। आगे आप लिखते है कि बाल विवाह का विरोध एक गलत कार्य है। आप का यह विचार किसी भी सभ्य नागरिक के गले नही उतरता। बहुत पहले शारदा एक्ट के नाम से बाल विवाह निषेध बना था जिसके परिणाम स्वरूप अनेक सामाजिक समस्याएँ कम हुई है जिन्हे आप स्वीकार करने को तैयार नहीं।

आपने प्रेम विवाह के प्रोत्साहन को गलत बताया किंतु समलैंगिकता लिव इन रिलेशनशिप आदि विषयो पर आप मौन रहे ऐसा क्यो ? कुछ प्रेम विवाह असफल भी हुए है जिसका यह अर्थ नही जैसा आप सोचते है। वैश्यालयो को बिल्कुल फ्री

कर देना बलात्कार रोकने में सहायक होगा यह बात भी समझ में नही आयी। आगे आप लिखते है कि यौन शोषण बलात्कार से छोटा अपराध है। मेरे विचार में यौन शोषण बलात्कार के समान ही अपराध है। राजस्थान में अनेक धर्म गुरूओं, राजनेताओ तक ने शादी करने का झॉसा देकर या नौकरी का लालच देकर दुष्कर्म किया। क्या ऐसे यौन शोषण करने वाले दण्ड के भागी नही है। मंहगाई घट रही है यह भी बचकाना बयान है। स्वतंत्रता के बाद मंहगाई ने विकराल रूप धारण किया है। गरीब–अमीर के बीच खाई बढी है। कविवर रामधारी सिंह की कविताओ में भी भूखे बालक के चिल्लाने का विस्तार से वर्णन है। एक तरफ इतनी मंहगाई है तो दूसरी ओर हमारी सरकार 30रूपये रोज कमाने वाले को गरीब नही मनती। स्वतंत्रता के बाद सन 1951–1952 में सोना 200रूपये का दस ग्राम था, आज 30000 का है। घी 4रूपये किलो था, आज 400रूपये किलो है। तेल 6रूपये किलो था, आज 80 रूपये किलो है। सारा देश मंहगाई से त्रस्त है सभी राजनितिक दल मंहगाई को स्वीकार कर रहे है और आप महगाई को देख हीं नहीं पा रहे हैं।

मंदिर–मस्जिद विवाद का हल उपर नीचे अलग–अलग है। उपर नीचे पूजा स्थल बना देना कैसे संभव है? कौन मानेगा इस बात को? आपका यह सुझाव तर्क संगत नहीं है।

संघ को आपने उग्रवादी बताया और आगे बढ़ कर यह भी बताया कि गांधी हत्या के बाद इसको कुचल देना चाहिए था। जबकि आप के शब्दों में गांधी हत्या में संघ का कोई लेना देना नहीं था। बल प्रयोग और हिंसा का अधिक समर्थन न कभी संघ ने किया है न कभी करेगा। किंतु संघ एक कायर, डरपोक, दब्बु प्रकृति का संगठन नहीं है यह देशभक्तों का संगठन है। जिसके बलिदान का गौरवमयी इतिहास है इसके प्रति आप का विषवमन दुर्भाग्यपूर्ण है।

(8) कश्मीर

आपने लिखा धारा 370 हटाना कश्मीर समस्या का समाधान नहीं है

इसका अर्थ है कि आप एक हीं देश में दो विधान दो निशान के पक्षधर हैं। यह भी विचार व्यक्त किया गया कि सांप्रदायिक हिंदू व्यर्थ हीं पाकिस्तान से उलझते हैं। किंतु आपने इस तथ्य से आंखे मूंद ली कि हजारों हिंदू बालाओं को मुसलमानों नें जबरन बीबियॅा बनाकर अपने घर में रख लिया है। महात्मा गांधी की तरह आपमें भी विधर्मियों के लिये प्रेम उभर रहा है। आप नहीं समझते कि गांधी के प्रेम का जो परिणाम हुआ क्या फिर से वैसा हीं नहीं हो सकता। मुझे तो दिखता है कि आपका यह प्रेम भारत में एक नये पाकिस्तान की नींव डाल सकता है।

इस्लाम– आपने इस्लाम की चर्चा करते करते संघ को भी कट्टरवादी कहकर संघ के प्रति अन्याय किया है। आपका यह कहना नितांत गलत है कि संघ के लोग मुसलमानों के समान हीं कट्टर होते हैं जबकि आपको यह मालुम होना चाहिए कि मुसलमान अपनी चचेरी बहनों से भी शादी कर लेते हैं, गौ मांस तक खाते हैं। पिता की हत्या करके गद्दी भी हथिया लेते हैं। जबकि संघ के लोग ऐसा नहीं करते।

आपने संगठन को घातक लिखा जबकि महापुरूषों नें कहा है कि संगठन में हीं शक्ति होती है। सच्चाई यह है कि संगठन की ताकत ने बड़े–बड़े सम्राज्य स्थापित किए और आकाश की ऊँचाईयों तक पहुंचे। संगठन अभिशाप नहीं है, वरदान है। आप फिर से विचार करें। भ्रष्टाचार के विषय में लिखते हुए आपने कानूनों की मात्रा को घटानें का सुझाव दिया। आपनें यह क्यूं नहीं सोचा कि कानूनों की मात्रा को घटानें के लिये भी तो कोई नया कानून बनाना पडेगा। गौ हत्या के विषय में भी कोई कानून न बनानें की सलाह देकर आपने बहुत गलत किया है। आप जिस गांधी के भक्त दिखते हैं उन्होनें भी तो गौ हत्या बंदी के लिये कानून बनाने की सलाह दी थी। हिंदू धर्म के अनुसार गाय को गौ माता का स्थान दिया जाता है और आप ऐसी गौ माता की हत्या का विरोध भी नहीं करनें देते।

मानवीय फाँसी से आपका क्या अभिप्राय है यह भी स्पष्ट करें। भूत प्रेत संबंधी आपके विचार भी अनिश्चित हैं। हड़ताल और चक्काजाम के संबंध में भी आपकी सोच गलत है । गांधी जी ने भी स्वतंत्रता संघर्ष के लिये हड़ताल, चक्काजाम आदि का सहारा लिया था । क्या आप गांधी से सहमत नहीं हैं।

आपने अपनी पुस्तक में गांधी हत्या को समाज के लिये एक कलंक बताया, दूसरी ओर यह भी लिख दिया कि गांधी हत्या करने वाले उच्चराष्ट्र भाव के लोग थे जिनकी नीयत खराब नहीं थी। इस तरह की दो तरफा बातों का आपका क्या औचित्य है। मेरे विचार में गांधी के विचारों और सिद्वांतों की हत्या करने वालों की अपेक्षा गांधी के शरीर की हत्या करने वाले कम खतरनाक हैं। आपने शिक्षा पर सरकार द्वारा खर्च किए जाने पर विरोध किया है। आपके विचार में क्या ऐसा होना संभव है। यदि सरकार शिक्षा पर खर्च नहीं करेगी तो गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ पायेंगे। इस विषय पर भी आपको सोचना चाहिए। आपनें आत्महत्या को भी अपराध नहीं माना, मेरे विचार से आपकी यह सोच गलत हैं। आपने अपराध नियंत्रण को राज्य का दायित्व माना किंतु आपनें यह नहीं सोचा कि समाज की सहायता के बिना राज्य कैसे अपराध नियंत्रण कर पायेगा। दो प्रतिशत अपराधी भी कम नहीं होते। एक ओर तो आप ने जघन्य अपराधों में खुले चौक में फाँसी तक की वकालत की, दूसरी ओर राज्य के दायित्व, अधिकार और गुप्त मुकद्मा प्रणाली जैसी अबूझ पहेली भी प्रस्तुत कर दी है। आप बताइए कि हम आपके अस्पष्ट विचारों को कैसे आत्मसात करें। आपने अंबेडकर की आलोचना के बहाने हिंदू कोड बिल की भी आलोचना की है जबकि दुनिया जानती है हिंदु कोड बिल नें हीं महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार दिलाया।

कुल मिलाकर आपकी यह पुस्तक अनेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने की अपेक्षा समस्याऐं बढ़ानें वाली दिखती है,। आप अपनी पुस्तक ज्ञान तत्व 286 के हर अंश पर दुबारा विचार करें । आपकी यह पुस्तक एक नयी बहस शुरू करने में सहायक होगी इससे अधिक इस पुस्तक की कोई उपयोगिता नहीं है।

उत्तरः— श्री डी.के. ओझा जी ने इस अंक की सभी बातो को लीक से हटकर मानते हुए व्यंग समझा जो सच नही है। सच यह है कि मैने तो सारी बाते अपने वास्तविक निष्कर्षो के आधार पर लिखी है। सम्भव है कि आप सबसे चर्चा के बाद उनमे से कुछ बाते भी गलत लगे, किन्तु साथ में यह भी सम्भव है कि विचार मंथन के बाद कुछ बाते आपको भी सच लगने लग जाए, इसलिए ही मैने यह अंक लिखा है। सिंगला जी के लिखे अनुसार अंक 286 को 290 में और विस्तार से समझाया गया है किन्तु उन्होनें इस कार्य को ओखली में गुड फोडने से तुलना की है तथा व्यावहारिकता अथवा परिणाम के लाभ पर प्रश्न उठाया है, उससे मैं सहमत नही हूँ। मैं नही समझता कि मेरे विचार मंथन के प्रयत्नो से जो लाभ हुआ है उससे कोई अधिक लाभ सिंगला जी के प्रयत्नो से हुआ हो। समय बताएगा कि किसके प्रयत्न कितने कारगर हुए है।

श्री महावीर त्यागी जी ने मोदी जी के भाषणों की समीक्षा करते समय एक पक्षीय विवेचना की है। मैं नही समझता कि ईश्वर इतना पक्षपात करता है कि किसी एक ही परिवार के गर्भ मे प्रधानमंत्री की योग्यता वाले बच्चों का प्रवेश कराता है। यदि एक ही परिवार ने कई पीढियों तक प्रधानमंत्री पद आरक्षित करा लिया है तो ऐसे आरक्षण को अस्वीकार करना ही होगा। यदि त्यागी जी पहल न करे और नरेन्द्र मोदी करे, तो इस पहल के लिये उस परिवार की ओर से कोई प्रश्न नही उठाया जा सकता। यदि मोदी के पास ये तर्क है कि वह तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो नेहरू—गॉधी परिवार के समक्ष तो कई गुना अधिक पक्ष खडा है। यदि मोदी एक चालाक व्यक्ति है तो क्या नेहरू जी को धूर्त कहा जाए जिसने कई पीढियों तक यह पद आरक्षित कर दिया। नरसिंह राव या मनमोहन सिंह को धूर्तता पूर्वक बदनाम करने में नेहरू परिवार की भूमिका की कोई सफाई नही दी जा सकती।

आपने अंक 286 में महिलाओं की समीक्षा करते हुए सभी 23 मुददों को उल्टा बता दिया। मेरे विचार से आपका कथन सही है। क्योंकि इस अंक की सभी बाते उल्टी है, सिर्फ महिलाओं वाली ही नही। मैंने पचास वर्षो के चिंतन तथा सैकडों बार पढने के बाद यह अंक लिखा है। मैं तो चाहता हूँ कि आप इसे दुबारा पढें। मैं जानता हूँ कि ऐसी विपरीत बाते लिखने वाले कई लोग पूर्व में चरम विरोध झेलते हुए फॉसी पर चढ चुके हैं, जिनकी बाते बाद में सत्य सिद्ध हुई है और आजतक इतिहास बनी हुई है। आपने मुझे हमेशा ही असत्य का विरोध करने की प्रेरणा दी है, आज आप मुझे क्यों डरा रहे हैं ? यह बात आपको बतानी चाहिए।

मैं जानता हूँ कि आप प्रसिद्ध गांधीवादी भी हैं तथा सर्वोदयी भी। ऐसा लगता है कि आप सब कुछ समझते हुए भी सर्वोदय की सीमाओं से बाहर जाकर स्वतंत्र रूप से नहीं सोचते। आप विचार करिये कि सर्वोदय ने गांधी का नाम तो जिंदा रखा किंतु काम भुला दिया। दुनिया जानती है कि गांधी इस्लाम की सारी बुराईयों को जानते थे। जब अंबेड़कर जी मुसलमान बनने लगे तो गांधी ने पूरा जोर लगाकर उन्हें मुसलमान बननें से रोका। जब अंबेड़कर जी नें आदिवासियों तथा हरिजनों को एक अलग समूह बनाकर अलग करने की कोशिश की तो गांधी नें इस प्रयत्न को भी विफल किया। गांधी परिवार व्यवस्था तथा समाज व्यवस्था को मजबूत करना चाहते थे। गांधी ग्राम स्वराज्य, लोक स्वराज्य के पक्षधर थे। गांधी के मरते ही जो सर्वोदय अस्तित्व में आया उसने संघ को हीं हिंदुओं का प्रतिनिधि मानकर मुसलमानों की एकपक्षीय चापलूसी शुरू कर दी। गांधी विदेशी स्वतंत्रता से संघर्ष के लिये मुसलमानों को भी जोडकर रखना चाहते थे किंतु सर्वोदय स्वतंत्रता के बाद भी हिंदुओं की जगह पर मुसलमानों को अधिक प्राथमिकता देता रहा। जो गांधी पूरी तरह अहिंसा के पक्षधर थे वही सर्वोदय हिंसा के समर्थक साम्यवादियें तथा हिंसक नक्सलवादियों के पक्ष में भी खडा हो गया। जिसने भी संघ को गाली दी वही सर्वोदय का समर्थक हो गया। क्या यह विचारणीय नहीं है कि सरसठ वर्षों के बाद भी गांधी का गुजरात हिंसा के समर्थक संघ के मोदी का समर्थक हो गया। आज सारे देश में हिंसा के पक्ष में बनता हुआ वातावरण सर्वोदय वालों के लिये गंभीरतापूर्वक सोचने का समय नहीं है क्या? अन्ना हजारे तथा अरविंद केजरीवाल की लोक स्वराज्य समर्थक मांग इतना जोर पकडी किंतु सर्वोदयी तथा गांधीवादी लोक स्वराज्य की मांग आगे नहीं उठा सके। ठाकुरदास जी बंग, सिंद्धराज ढढ्ढा सरीखे गांधीवादियों ने जब लोक स्वराज्य की मांग उठाई तो सर्वोदय के हीं संघविरोधी साम्यवाद, नक्सलवाद समर्थक लोगों ने उनके साथ कितना खराब व्यवहार किया वह मैंने प्रत्यक्ष देखा है। आज गांधी नें जो किया उसके पीछे–पीछे चलने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण यह है कि गांधी स्वतंत्रता के बाद आगे क्या करते वह किया जाये। मुझे याद है कि जब अन्ना जी के आगे आने के दस वर्ष पूर्व ठाकुरदास बंग जी के मार्गदर्शन में तथा आपके नेतृत्व में लोक स्वराज्य आंदोलन शुरू करने की योजना बनी थी तो सर्वोदय के हीं लोगों नें आपको तथा अमरनाथ भाई को ऐसा आंदोलन करने से रोका था। अब आवश्यकता इस बात की है कि आप लोग अपनी विफलता के कारणों पर फिर से विचार करें और उस विचार विमर्श में घिंसे–पिटे सर्वोदयी लोगों के साथ कुछ स्वतंत्र गांधीवादियों को भी शामिल करें। पिछले दिनों सेवाग्राम में सम्पन्न चुनावों नें ऐसी विशेष आवश्यकता महसूस कराई है। आप, अमरनाथ भाई, दुर्गाप्रसाद जी आर्य सरीखे लोग बैठकर विचार– विमर्श करें कि आगे किस दिशा में जाना उचित होगा। आचार्य पंकज, ओमप्रकाश जी दुबे, सिद्धार्थ शर्मा सरीखे छुट–पुट गांधीवादियों नें 13 जून से 22 जून तक जंतर–मंतर पर धरना देकर लोक स्वराज्य की आवाज मुखर करने की घोषणा की है। आशा है कि आप सब इसमें शामिल होने की कृपा करेंगे।

ऐसा लगता है कि मंजुल जी ने पूरा ज्ञानतत्व कई बार पढा है। मैंने बाल विवाह का समर्थन नही किया है बल्कि उसे सामाजिक समस्या मानकर कानून के द्वारा रोकने के प्रयत्न का विरोध किया है। मैने रामजन्म भूमि के संबंध में तीन

सुझाव दिये हैं, आपने तीनो को अस्वीकार कर दिया और चौथा सुझाव नही दिया। इससे स्पष्ट होता है कि आप राम मंदिर, बाबरी मस्जिद विवाद के संबंध में एक पक्षीय निर्णय के पक्षधर हैं।

मैंने कश्मीर के संबंध में ग्यारह बाते लिखी है उनमे से मुसलमानो के विरूद्ध लिखी गयी बाते आपको बहुत अच्छी लगी और संध के विरूद्ध लिखी गयी बाते खराब। मैं अब भी मानता हूॅ कि संघ ने हिन्दुओ की सहनशीलता का राजनैतिक स्वार्थ के लिए दुरूपयोग किया। संघ का उदेश्य अगर हिन्दू सशक्तिकरण रहा होता तो राम जन्मभूमि या कश्मीर की समस्या सुलझ गयी होती। किन्तु जिस तरह सांम्प्रदायिक मुसलमानो के दिल में खोट है उसी तरह संघ परिवार की नीयत में भी स्वार्थ है। गौ हत्या के लिए कानून और समान नागरिक संहिता एक दूसरे के विपरीत है। आप हिन्दू राष्ट्र के पक्षधर हैं या समान नागरिक संहिता के, यह स्पष्ट नही है। आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने यदि काई बात मान ली, वह बात मेरे चिन्तन का तो आधार हो सकती है किन्तु निष्कर्षो का नही। शिक्षा और ज्ञान के संबंध में मै अभी तक नही समझा कि रत्नाकर डाकू या अंगुलीमल को शिक्षा दी गयी अथवा ज्ञान हुआ। अशिक्षित कबीर ने समाज को जो कुछ दिया वह शिक्षा थी या ज्ञान? आपके कथन से स्पष्ट नही हुआ। आपने निर्धनो की शिक्षा की चिन्ता की है किन्तु यह नही सोचा कि इस बजट की पूर्ति के लिये गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, छोटे किसान तथा अशिक्षित लोगो से भी बेरहमी से टैक्स वसूला जाता है। शिक्षा देने के लिए अशिक्षितो को भी पैसा देना चाहिए या शिक्षा प्राप्त कर चुके लोग अशिक्षितो पर लगने वाला टैक्स माफ कराने में योगदान करे, इसमें कौन सी अवस्था ठीक है। अपराध किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन को कहा जाता है। मैंने शोषण को बुरा कहा है, अनैतिक कहा है, असमाजिक कार्य कहा है किन्तु अपराध नही, क्योंकि किसी भी प्रकार का शोषण किसी व्यक्ति के सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन हो सकता है। किन्तु मौलिक अधिकारों का नही। आपने आर्थिक विषमता को प्रकृति का प्रकोप माना यह सम्भव नही है क्योकि आर्थिक विषमता लगातार 67 वर्षो से बढ रही है और प्रकृति का प्रकोप इस तरह हो रहा हो ऐसा नही दिखता। मैं आपके इस कथन का आशय नही समझा कि गरीब लोगो को निःशुल्क भोजन, अनाज की सहायता उन्हें निठ्ल्ला, अक्षम और मक्कार बना देती है। यदि वास्तव मे ऐसा है तो मध्यवर्ग और उच्चवर्ग निठ्ल्ली, अक्षम और मक्कार क्यो नही हो गयी ? आपने कॉग्रेस और आप की सफलता को चरित्रहीनता से जोडा, इसका अर्थ हुआ कि 2004 में भाजपा और संघ परिवार के लोग चरित्रहीन होने के कारण ही असफल हो गये थे। पिछले दस वर्षो में संघ के सारे चरित्रहीन और असफल लोग आज सफलता दिखने के कारण चरित्रवान हो गये। मैं इससे सहमत नही हूॅ। आचार संहिता, व्यक्ति की व्यक्तिगत होती है उसे किसी कानून से समान नही बनाया जा सकता। नागरिक संहिता समान होती है और उसे समान होना ही चाहिए। अ ने ब की बेटी को छेडा, यह कार्य अपराध भी था और अनैतिक भी है। ब ने समाज या कानून के पास न जाकर उसकी हत्या कर दी तो यह कार्य भी अनैतिक होगा और साथ में अपराध भी।

आपने मेरे प्रतिशत पर प्रश्न उठाया है। मैने जो प्रतिशत लिखा है वह अनुमानित है। वह वास्तविकता से दस–पॉच प्रतिशत कम ज्यादा हो सकता है। किन्तु यदि यह अंतर बहुत ज्यादा हो तो लिखिए, कौन सा अनुमान बहुत अधिक भ्रमपूर्ण है। यदि मेरे ऑकडे विश्वसनीय नही है तो अविश्वसनीय होने का आधार भी तो पता चलना चाहिए। आपने अंन्तिम पैराग्राफ में हिन्दू की तुलना मुसलमान से और भारत की पाकिस्तान से की है। जबकि हिन्दू एक जीवन पद्धति है और मुसलमान एक संगठन। हिन्दू गुणात्मक परिवर्तन को धर्म मानता है और मुसलमान संख्यात्मक परिवर्तन को। मुसलमानो व पाकिस्तान को देख–देख कर यदि हम भी उसी तरह हो जाये तो क्या हमे स्वयं को चोंटी वाला मुसलमान नहीं मानना चाहिये? क्या आप अपने को चोटी वाला मुसलमान कहलवाना पसन्द करेगें? क्योंकि हिन्दू और मुसलमान मे सिर्फ पहचान का ही अंतर नही है, बल्कि कुछ मौलिक अंतर भी है। आप को यह पता होना चाहिए कि किसी इकाई की ब्यवस्था में

तानाशाह केवल एक ही हो सकता है,दो नही। भारत में हजारो तानाशाह है इसका अर्थ यह हैकि एक भी ब्यक्ति पुरा तानाशाह नही है। कुछ व्यक्तियो के अंदर आंशिक रूप से तानाशाही की भावना है उसे हटाने का प्रयत्न अधिक उचित होगा, न कि उनकी जगह किसी एक को पूर्ण तानाशाह बनने की ओर सर्मथन करने का।

मैने ज्ञानतत्व अंक 286 में वैश्यावृत्ति को मुक्त करने की बात कही है, मुफ्त नही। आपके समझने मे भूल हुई है। मैं भी कुछ भी मुफ्त देने के पक्ष मे नही हूॅ। इसलिए मैने मुफ्त शिक्षा के भी विरूद्ध लिखा है।

सहमत सेक्स प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। परिवार, गॉव, सरकार या समाज भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों मे उसकी सहमति के बिना तब तक कटौती नही कर सकते जब तक उसने कोई अपराध न किया हो। किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य तब तक अपराध नही होता जब तक उसका प्रभाव किसी अन्य के मौलिक अधिकारों पर न पडे। संवैधानिक अधिकारों का उल्लंखन गैरकानूनी मात्र होता है तथा सामाजिक अधिकारों का उल्लंखन अनैतिक। वैश्याऍ दो कारणो से धन्धा करती हैं–1. पेट की भूख 2. सेक्स की भूख। समाज का कर्तव्य है कि वैश्या वृत्ति के विरूद्ध कोई विचार देने के पूर्व उनकी इन दोनो मजबूरियों का भी ऑकलन कर लें। पुरूषों में भी ऐसी मजबूरी सम्भव है। इस मजबूरी का भी समाधान करने का प्रयास होना चाहिये। आपने न्यायालय संबंधी प्रश्न उठाया है। लोकतांत्रिक मान्यता में न्यायालयों की कानून के अनुसार ही न्याय देने की सीमा नियत है। वर्तमान दूषित लोकतंत्र में न्यायालय मनमानी कर रहा है। विधायिका की उच्चश्रृंखलता पर नियंत्रण के लिए तो ऐसी मनमाननी स्वागत योग्य है। किन्तु यदि वह मनमानी किसी सीमा से आगे निकल जाये तो विचारणीय हो जाती है। न्यायिक सिद्धांत बनाना न्यायपालिका का कार्य नही है बल्कि विधायिका का कार्य है किन्तु अनेक मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप करके न्यायपालिका न्यायिक सिद्धांत बना रही है। जिनमें से अनेक अच्छे भी हैं। उन्हीं सिद्धांतों में एक बात जोडना चाहता हूॅ कि वन अपराध, आदिवासी एक्ट ईसी एक्ट महिला अपराध जैसे अनेक अपराधों में यदि निर्दोष सिद्ध करने का भार तथाकथित अपराधी पर है तो संगीन अपराधों में उस पर यह भार क्यों नही डाला जाता। न्यायिक सिद्धांत दो प्रकार के हैं–एक लोकतॉत्रिक देशों का जहॉ सौ अपराधी भले ही छूट जाये किन्तु कोई निर्दोष दंडित न हो जाए, इस सीमा तक सतर्कता बरती जाती है। दूसरा सिद्धांत साम्यवादी व इस्लामिक देशों का है जिसके अनुसार सौ निरपराध भले ही दण्डित हो जाय किन्तु कोई अपराधी न छूट जाये यह माना जाता है। साम्यवादी या ईस्लामिक देशों में अपराध बहुत कम है। लोकतांत्रिक देशो में अपराध इसलिए कम है कि वहॉ अपराध को सिद्ध करने में बहुत शक्ति लगायी जाती है। भारत एक गरीब देश है और भारत मे कुछ नासमझ संविधान निर्माताओं और कानूविदों की गलती से गैर कानूनी कार्यों तथा असामाजिक कार्यो को भी अपराध के श्रेणी में शामिल कर लेने के कारण हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका अतिभार हो गयी। आप जानते हैं कि ओवरलोडेड व्यवस्था सहज सरल काम अधिक करती है, कठिन काम कम करती है। इसलिए मैने यह सलाह दी कि न्यायालय, न्यायिक सिद्धांत में ऐसा संशोधन करे कि न कोई अपराधी बच सके न कोई निरपराध दंडित हो। इसी तरह भारत में अपराधों की जो संख्या है उसमें कुल मिलाकर एक प्रतिशत ही वास्तविक अपराध होते हैं। गैर कानूनी तथा अनैतिक कार्यो को एक में मिला देने से अपराधों की संख्या बढ जाती है। न्यायालय यदि एक प्रतिशत वास्तविक अपराधों को चिन्हित करके उन्हें प्राथमिकताा के आधार पर देखना शुरू कर दे तो वास्तविक अपराधों की रोकथाम हो सकती है।

जाखेटिया जी ने अपने कथन के पक्ष में अलंकारिक भाषा का बहुत प्रयोग किया है, जैसे धरती गॅूज रही है, आकाश गरज रहा है। मैं इस भाषा का प्रयोग न करके कुछ यथार्थ बातें रख रहा हूॅ कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए। आदिवासियों, दलितों को सशक्त होना चाहिए, ग्रामीणों को सशक्त होना चाहिए। इन आवाजों से आकाश हिल रहा है तो मैं

क्या करूं ? ये सशक्तिकरण की आवाजें मुझे सुनाई ही नही दे रही है। मेरे दिल से अकेली आवाज उठ रही है कि सराफत को सशक्त होना चाहिये। परिवार को सशक्त होना चाहिये, गांवो को सशक्त होना चाहिये, समाज को सशक्त होना चाहिये। मुझे जो आवाज सुनाई दे रही है वह आपको सुनाई नही दे रही है तो इसमे मेरा क्या दोष है। आकाश से धरती तक गूंज रही आवाजो ने 67 वर्षो तक शराफत को कमजोर किया। परिवारो को तोड दिया। ग्रामीण व्यवस्था चौपट कर दी। समाज को तोड दिया। मै इन परिवार तोडक समाज तोडक आवाजो की ही सुनूं या इनके समाधान की चर्चा करूं।

अनेक पाठको ने अपने पत्रो मे लिखा है कि राष्ट्र बडा है। समाज और सरकार एक दूसरे के पूरक है। मुझे अपनी आवाज सुनायी देती है कि राष्ट्र देश या सरकार समाज के सहायक है। समाज इनका पूरक नही है। समाज एक सार्वभौम इकाई है और राष्ट्र समाज का अंग। सरकार, समाज के अंग राष्ट्र की व्यवस्थापिका इकाई है। आपने जिन जिन के सशक्तिकरण की बात की है उन सब में न सब लोग अच्छे है न सब बुरे। सभी इकाईयो मे दोनो प्रकार के लोग है तो क्या इन दोनो को प्रवृत्ति के आधार पर न बाटकर एक साथ सशक्त करना उचित होगा? यदि सभी शरीफ लोग सशक्त हो जाये तो सारी समस्याओ का समाधान हो सकता है। अन्यथा शराफत को छोडकर किसी अन्य आधार पर वर्ग सशक्तिकरण हुआ तो उस वर्ग के धूर्त लोग अधिक सशक्त हो जाते है और शरीफ लोग कम। आप जैसे लोगो ने 60–65 वर्षो से जिन जिन वर्गो को सशक्त किया है उन सब के अपराधी तत्व अधिक सशक्त हो गये। आज समाज मे हिंसा बढ रही है। अपराध बढ रहे है। भ्रष्टाचार बढ रहा है चरित्र गिर रहा है। समाज मे भी सच बोलने वालो की संख्या घट रही है। पता नही आप जैसे लोगो को इन सब समस्याओ के विषय मे चिंता क्यो नही होती । दो प्रतिशत आधुनिक महिलाओ जिनमे से अनेक परिवार तोडकर आयी है तथा उनके विषय मे समाज मे अनेक अपवित्र धारणाए भी बनी हुई है। उन सबकी आवाज आपकी सुनाई दे रही है।

समाज की समस्याएं समाज हीं ठीक करता है। उसमे हस्तक्षेप करना किसी सरकार का कार्य नही। यदि सरकार गंदी हो जाती है तब समाज उसे बदल देता है या किसी अन्य तरीके से ठीक करता है। यह कार्य सरकार का नही होता, समाज का होता है। आज गुलाम मानसिकता के लोग यहां तक कहने लगे है कि यदि समाज अपने को ठीक नही करेगा तो मजबूर होकर सरकार को समाज के गलत कार्यो मे हस्तक्षेप करना चाहिए। मै नही समझता कि समाज का कोई कार्य गलत है, इसका निर्णय समाज करेगा या सरकार।

मैने बहुत बार लिखा है कि प्रेम विवाह समाज का आंतरिक विषय है। उसे रोकना मूल अधिकारो का उलंघन है। समलैगिकता, लीव इन रिलेशन शिप आदि भी उसी प्रकार की विकृति है जिस तरह प्रेम विवाह। इन विकृतियों को समाज दूर करेगा न कि सरकार। सरकार बलात्कार नही रोक पा रही है, डकैती और अपराध नही रोक पा रही है, मिलावट नही रोक पा रही है। ऐसी निकम्मी सरकार, समलैंगिकता रोक रही है, प्रेम विवाहो को प्रोत्साहन दे रही है और आप लोग ऐसी सरकार की प्रशंसा कर रहे है। आपने वैश्यावृत्ति पर भी लम्बी टिप्पणी की है। यदि कोई पेट से भूखी महिला और सेक्स का भूखा पुरूष एक दूसरे की इच्छा पूर्ति कर दे तो आपको बहुत कष्ट हो रहा है। अच्छा होता कि ऐसे क्षुधा पीडित स्त्रियो और पुरूषो की क्षुधापूर्ति के लिये ऐसे चिंतित लोग कुछ अन्य मार्ग निकाल लेते तो वैश्यालय अपने आप बंद हो जाते । गांधी ने या स्वामी दयानंद ने सामाजिक समस्याओ के समाधान के लिये समाज का आह्वान किया था न कि सरकार का। अम्बेडकर सरीखे लोगो ने सामाजिक समस्याओ के समाधान के लिये सरकार का आहवान करके एक गलत परम्परा को जन्म दे दिया। स्वामी दयानंद व गांधी ने पुरूषो को महिलाओ के पक्ष मे समझाया था और महिलाओ को

पुरूषो के पक्ष मे समझाया। इससे वर्ग समन्वय हो रहा था। नेताओ ने महिलाओ को पुरूषो के विरूद्ध समझाया और पुरूषो को महिलाओ के विरूद्ध। इससे वर्ग विद्वेश बढा व परिवार टूटे। इससे समाज विरोधी महिला व पुरूष सशक्त हुए और बिल्लियो को आपस मे लडाकर स्वार्थी राजनेता बंदर के समान मजबूत हुए। ऐसे नेताओ ने गांधी तक की हत्या कर दी और अम्बेडकर तक की प्रशंसा करने लगे, इंदिरा गांधी तक को आदर्श घोषित करने लगे तो मै किसकी बात करूं । नई दुनिया 16 अप्रैल 2014 मे पत्नी पीडित संघ बनाये जाने की विस्तृत चर्चा हुई है। महिला सशक्तिकरण, पुरूष सशक्तिकरण की अलग अलग आवाजें समाज को कितना सशक्त करेगी यह आप लोग सोच सकते है। मैने यह नही लिखा कि यौन शोषण किसी प्रकार का अपराध भी होता है। मैने तो यह लिखा है कि बलात्कार डकैती की अपेक्षा कम गम्भीर अपराध होता हैं । मुलायम सिंह जी ने खुले आम इस बात की पुष्टि की है तथा अन्य अनेक नेता भी व्यक्तिगत रूप से चर्चाओ मे ऐसा ही मानते है। मंहगाई के विषय मे पहले ही बहुत कुछ लिखा जा चुका है। आपके कहने मे कोई नयापन नही है। राम मंदिर के मुददे पर भी आपने मेरे सुझावो को सिर्फ अब्यवहारिक ही बताया है न कि कोई व्यावहारिक सुझाव दिया है। गांधी हत्या के विषय मे मैने कई बार लिखा है कि उसमे संघ का हाथ नही था किन्तु ऐसा करने वाले लोग संघ विचारो मे प्रेरित थे। संघ परिवार के लोग स्वयं हिंसा नही करते बल्कि दूसरो को हिंसा के पक्ष मे प्रेरित करते रहते है। भगत सिंह ने एसेम्बली मे बम फेका था यह बात समाज को बार बार बतायी जाती है किन्तु किसी संघ के कार्यकर्ता ने अपने जीवन मे अपराधियो पर बम फेंक कर भगत सिंह का अनुकरण नही किया। मेरे विचार से क्रिया मे संघ एक कायर, डरपोक और दब्बू प्रकृति का संगठन है। भले ही वह बातो मे और दूसरो को उकसाने मे कितना भी मजबूत क्यो न हो । इस्लाम के विषय मे संघ की जो सोच है उस सोच से मै सहमत हूँ किन्तु मै उसे अच्छा समाधान नही मानता । यदि और कोई समाधान नही होता तब तो इस्लाम के साथ इस्लामिक तरीके से निपटना मजबूरी थी किन्तु जब उससे अच्छे समाधान हमारे पास है तो क्यों नही इस दूसरे समाधान का भी प्रयोग किया जाये। जिस तरह स्वतंत्रता के पूर्व गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के प्रयत्नो से हटकर नया मार्ग खोजा था, जो सफल हुआ उस पर भी सोचे जाने की जरूरत है । मै संघ और इस्लाम के बीच जब तुलना करता हूँ तो पाता हूँ कि इस्लाम की नीयत राजनीतिक रूप से भी खराब है, धार्मिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी किन्तु संघ परिवार की नीयत सिर्फ राजनीतिक रूप से ही खराब है, सामाजिक और धार्मिक रूप से नही। इस्लाम हिन्दुत्व को निगल जाना चाहता है। जबकि संघ अपने राजनीतिक उद्देश्यो की पूर्ति के लिये हिन्दुत्व को बचाना चाहता है। संघ किसी भी रूप मे इस्लाम को निगल लेने की नही सोचता । मै समझता हूँ कि कश्मीर समस्या, मंदिर, साम्प्रदायिकता आदि का समाधान संघ की सोच से हटकर शान्ति पूर्वक करना संभव है। यदि संघ अपनी राजनीतिक इच्छाओं को छोडकर एक सामाजिक स्वरूप ग्रहण कर ले तो उचित रहेगा। आज तो ऐसा दिखाई देता है कि हिन्दू विचार धारा खतरे मे है। कुछ लोग इसाई बन रहे है कुछ लोग मुसलमान बन रहे है तो बहुत से लोग हिन्दू विचार धारा छोडकर संघ की कट्टरवादी विचार धारा के साथ जुड रहे है। खतरा दिखता है कि हिन्दू नाम के लोग तो बडी संख्या में बच जायेगे किन्तु हिन्दू विचार धारा को बचाना बहुत बडी समस्या है। आपने संगठन के विषय मे लिखा तो संगठन मे शक्ति होती है। यह बात सही है किन्तु वह शक्ति वैचारिक न होकर बल की शक्ति होती है, जिसकी एक सीमा तक आवश्यकता तो है किन्तु इतनी नही जितनी आज दिख रही है। समाज मे हिंसा फैलाने का काम संगठनो ने ही किया है। सच्चाई यह है कि विचारणीय शक्ति प्राचीन समय में ब्राम्हण मानी जाती थी, संगठन शक्ति क्षत्रिय, धन शक्ति वैश्य और श्रम शक्ति शूद्र। ब्राम्हण शक्ति लगभग शून्य हो गयी है। क्षत्रिय शक्ति इस्लाम तथा संघ के रूप मे बढती जा रही है। धन शक्ति पाश्चात्य जगत और भारत मे पड रहे उसके प्रभाव के कारण बढ रही है। सूद्र शक्ति साम्यवाद के पतन के बाद दब गयी है। पूरे देश मे क्षत्रिय शक्ति और धन शक्ति के बीच प्रतिस्पर्धा हो रही है। ब्राम्हण शक्ति और श्रम

शक्ति असहाय हो गयी है । आप सरीखे लोगो से कुछ उम्मीद लगती है कि आप लोग ब्राम्हण शक्ति और श्रम शक्ति पर भी कुछ सोचेगे।

अकेन्द्रीयकरण के लिए कानून बनाना नही होता है, कानून हटाने होते हैं। जितने अनावश्यक कानून हटते जायेगे उतना ही भ्रष्टाचार घटता जायेगा। वर्तमान समय मे केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार के कुल कानूनों मे से 95 प्रतिशत कानून अनावश्यक है। गौ हत्या के विषय मे गांधी जी ने जो कहा उसका आशय वे जाने। मैं आज की परिस्थिति को देखते हुए अपनी बात कह रहा हूँ गांधी की नही । हिन्दू संस्कृति सदैव अपनी तर्क शक्ति के बल पर जीवित रही ही है, कानून या राज्य के सहारे नही। निकम्मे लोग जिनका समाज पर कोई प्रभाव नही होता वे कानून की बात करते है, मै नहीं। गौ हत्या गलत है, बुरी है, मै भी जानता हूँ किन्तु मै यह भी जानता हूँ कि किस तरह अनेक गौ भक्तो ने जबरदस्ती गलती न होते भी तथा कसाई खाने न जाते हुए भी गाये लूट–लूट कर स्वयं ले गये या एक गऊशाला बनाकर उसमे डाल दिये । मै इस तरह की लूट के व्यापार को ज्यादा खराब मानता हूँ। यदि किसी को तथा कथित गौ भक्तो द्वारा की गयी ऐसी लूट के बारे मे ज्यादा जानकारी चाहिये तो मैं बता सकता हूँ ।

मानवीय फाँसी का अर्थ यह होता है कि फांसी की सजा का प्रस्तावित व्यक्ति यदि दोनो आखे देकर अंधा बनकर जीवित रहने की याचना करे तो न्यायालय उसे उचित शर्तो पर तथा जमानत पर तब तक के लिये मुक्त कर सकता है। जब तक वह या उसका जमानतदार चाहे । मानवीय फांसी का अर्थ यह है कि हम एक फांसी पर चढने वाले को एक नया विकल्प दे रहे है। स्वतंत्रता के पहले सुभाष बाबू ने गुलामी से मुक्ति के लिये हिंसा का समर्थन किया था और गांधी ने अहिंसक हडताल चक्का जाम जैसे असहयोग आंदोलन का । जब तक लोकतंत्र तानाशाही मे न बदल जाये, तब तक न हडताल, चक्का जाम उचित है न हिंसा । संघ परिवार सत्ता परिवर्तन के लिये हिंसा को प्रोत्साहित करता है तो अन्य लोग गांधी के शस्त्र हडताल चक्का जाम को । दोनो हीं यह भूल जाते है, कि आज भारत मे लोक तंत्र है तानाशाही नही। गांधी हत्या के संबंध मे आपको मेरे विचारो में विरोधाभाष दिखा। उसमे कौन सी बात असत्य है आपने नही बताया । मैने दो बातें कही है और मेरे विचार से दोनो ही सही है। आपके विचार मे कौन सी सही या गलत है । आप बताये। मै अब भी मानता हूँ कि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कोई ऐसा कार्य जिसका परिणाम सिर्फ उसी व्यक्ति को प्रभावित करता है, वह अपराध नहीं है। आत्म हत्या इसी श्रेणी मे आती है। अपराध नियंत्रण राज्य का समाज के प्रति दायित्व है। राज्य अपराध नियंत्रण करके समाज का सहयोग करता है। यह तो विचित्र बात है कि समाज अपराध नियंत्रण में राज्य का सहयोग करे। मैनेजर मालिक से कहे कि आप सहयोग करेंगे तभी मै काम करूंगा यह तो एक प्रकार की गुलाम मानसिकता है। अपराध नियंत्रण समाज का दायित्व है। समाज ने वह दायित्व अपनी एक इकाई अर्थात सरकार को दे रखा है। सरकार यदि आहवान करेगी या यह काम नही कर सकेगी तब समाज को सक्रिय होना चाहिय, किन्तु यदि सरकार या राज्य इस काम को छोडकर जुआ शराब, वैश्यावृत्ति, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसे अनावश्यक कार्य करने लगे तो सरकार असफल है समाज नही।

मै अब भी समझता हूँ कि अम्बेडकर की हिन्दु समाज व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की नीयत थी। यदि अम्बेडकर की नीयत ठीक होती तो वे परिवार की ऐसी परिभाषा बनाते जिसमें परिवार मे प्रत्येक सदस्य को सम्पूर्ण सम्पत्ति में समान अधिकार होता। परिवार मे रक्त संबंध अनिवार्य नही होता। अगर अम्बेडकर इतनी मामूली सी बात नही समझ सके तो मै अम्बेडकर के बारे मे क्या कहूँ।

मैने ज्ञान तत्व 286 संबंधी आये अब तक के विचारो की समीक्षा की है। जिन पाठको ने इतना परिश्रम किया वे धन्यवाद के पात्र है। मै मानता हूँ कि वे पाठक सत्य को खोजना चाहते है, कुछ नया समझना चाहते है। कुछ गलती को समझाना चाहते हैं। ज्ञानतत्व अंक 290 मे भी 286 की समीक्षा गयी है। उससे कुछ और स्पष्ट होगा । आप लोगो के पत्र पुनः प्राप्त होंगे या कुछ पत्र अब तक हमारे पास नही पहुंचे होंगे। उनकी समीक्षा बाद मे करेंगे। अधिंकांश पत्रो में महिलाओ के संबंध मे कुछ विशेष चिंता व्यक्त की गयी है। महिलाओं के संबंध मे परिवार और समाज मे दो प्रकार की व्यवस्थाऐं प्रचलित है। एक बंद समाज व्यवस्था और दूसरी खुली समाज व्यवस्था। बंद समाज व्यवस्था पुरातन पंथी और खुली समाज व्यवस्था को आधुनिक कहा जाता है। बंद समाज व्यवस्था मे परिवार के अंदर भी पति को छोडकर अन्य पुरूषो से अधिकतम संभव दूरी बनाकर रखी जाती है। परिवार के बाहर के पुरूषो से तो होती ही है। खुली समाज व्यवस्था में परिवार के पुरूषो से तो न्यूनतम दूरी बनाकर रखी ही जाती है, समाज मे भी यह दूरी न्युनतम ही होती है। दोनो व्यवस्थाओ के अलग–अलग लाभ व हानि है। बंद व्यवस्था मे लैगिक आक्रमण के खतरे कम होते है। प्राय छेड़–छाड़ भी नही होती हैं। यदि कोई ऐसी घटना होती भी है तो या तो छिप जाती है या आपस मे निपटा लिया जाता है। किन्तु बंद ब्यवस्था में महिलाए परिवार की आर्थिक प्रगति मे भागीदार नही हो पाती । खुली व्यवस्था मे लैगिक आक्रमण और छेड़–छाड़ बलात्कार की घटनाए बहुत बढ जाती है। दूसरी ओर महिलाऐं भी पुरूषो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक उन्नति मे सहायक होती हैं। कौन सी व्यवस्था ठीक हैं कौन सी गलत यह कहना मेरे लिये संभव नही है। वैसे तो सारी दुनिया मे हीं यह समस्या मुह बाये खडी है। किन्तु भारत मे इसने विकराल रूप धारण कर लिया है। समाज मे दो वर्ग बन गये है। एक बंद समाज का समर्थक है तो दूसरा खुले समाज का। भारतीय राजनीति बिल्लियो के बीच बंदर की भूमिका में रहती है। हर राजनेता चाहता है कि महिलाओ को आधार बनाकर बंद समाज और खुले समाज के समर्थक आपस में इस सीमा तक लडते रहे कि उसका लाभ राजनेताओं को मिलता रहे। राजनेताओं ने कानून के द्वारा तलाक वैश्यावृत्ति अथवा बार–बालाओं के प्रदर्शन पर रोक लगाकर बंद समाज समर्थकों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। दूसरी ओर महिलाओ को नौकरियों मे प्राथमिकता देकर महिला आरक्षण कर प्रयत्न करके सह शिक्षा, प्रेम–विवाह, विवाह की उम्र बढाकर, बलात्कार को गम्भीरतम अपराध बना कर खुला समाज समर्थको को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। सच बात तो यह है कि परिवार मे खुली व्यवस्था हो या बंद यह न समाजिक विषय है न कानूनी । यह तो सिर्फ पारिवारिक विषय है। परिवार तय करेगा कि उसे किस प्रकार रहना है। स्वतंत्रता के पूर्व बंद समाज व्यवस्था में महिलाओ को समान अधिकार न देकर गल्ती की गयी थी। उस गल्ती का लाभ वर्तमान मे नेता उठा रहे हैं। उस गल्ती को सुधारने की अपेक्षा परिवारो को तोडने के प्रयत्नो मे खुली समाज व्यवस्था को परिवार की इच्छा के विरूद्व भी प्रोत्साहित किया जा रहा है । अच्छा होगा कि बंद समाज समर्थक और खुला समाज समर्थक एक साथ बैठकर यह निर्णय कर ले कि भविष्य मे परिवार के लोग बैठकर महिलाओ को निष्कर्ष निकालने मे समानता का अधिकार दे दें।

• सूचना

अब तक ए टू जेड टीवी चैनल से प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:30 बजे, शनिवार रात 8 बजे, रविवार और सोमवार को भी रात 8 बजे, विचार–मंथन प्रसारित होता रहा है। अब उसका समय बदल गया है। अब प्रत्येक गुरूवार और शुक्रवार को शाम 630 बजे, शनिवार और रविवार को रात 8 बजे तथा प्रतिदिन रात 11:30 बजे प्रसारित होता है। नये समय के अनुसार आप ये टी.वी. कार्यक्रम देखने–सुनने की कृपा करें। यह कार्यक्रम पहले की तरह ही रिलाएंस छतरी के 425 नम्बर चैनल,ए टू जेड में प्रसारित होता है।